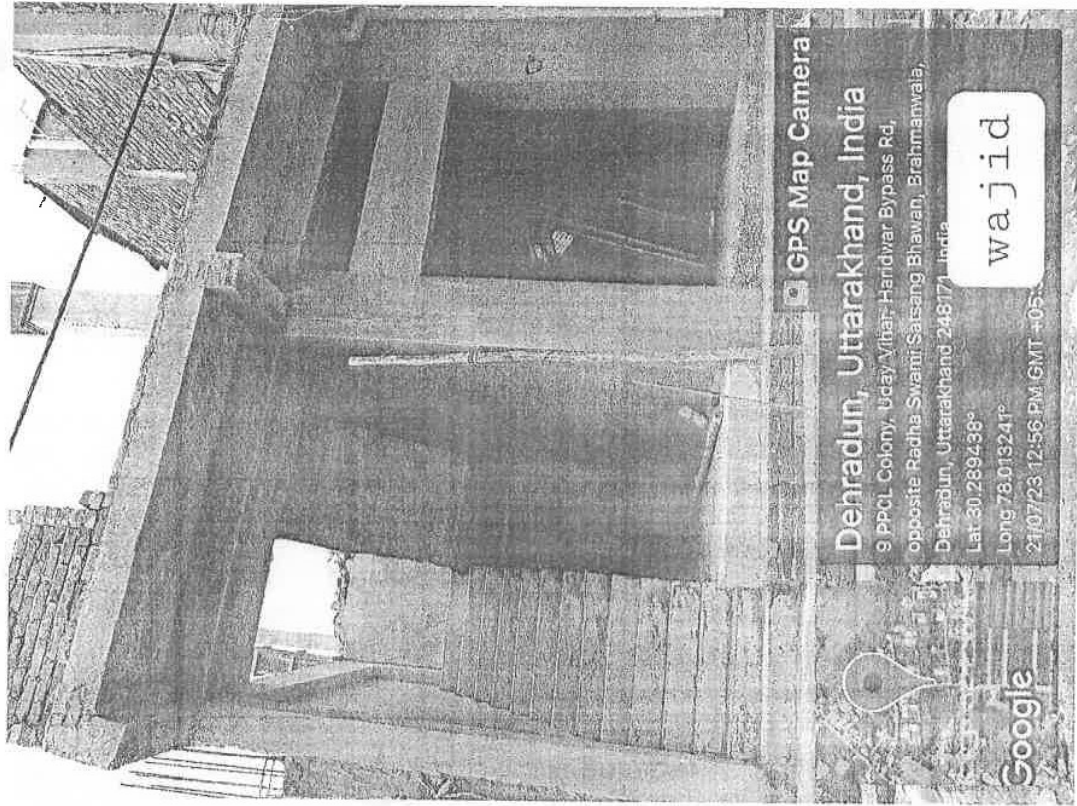




कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश

पत्राक:-5788 / वाद सं0 सी-0795/एस-1/2023

दिनांक:- 12/09/23

मौ0 हनीफ,
प्रधान इनक्लेव,
ब्राह्मणवाला, देहरादून।

आपके द्वारा उक्त स्थल पर लगभग 20 गूणा 20 फिट क्षेत्र में भूतल पर दुकान व कमरा तथा प्रथमतः पर आवासीय निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1)/धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी का वाद संख्या सी-0795/एस-1/2023 योजित किया गया। जो दिनांक 26.0.2023 को मौके पर प्राप्त कराया गया। जिसमें दिनांक 31.07.2023, 14.08.2023 एवं 04.09.2023 की तिथि सुनवाई हेतु नियत थी। नियत तिथि में आपके द्वारा मानचित्र बनाने के लिए समय मांगा गया। परन्तु अतिथि तक भी आपके द्वारा चालानशुद्धा निर्माण के सम्बन्ध में कोई मानचित्र जमा नहीं कराया गया। आप जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। दिनांक 14.08.2023, 04.09.2023 की सुनवाई की तिथि नियत थी परन्तु नियत तिथि पर आप उपस्थित नहीं हुए।



सी. ज. वि.
12/9/23

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने निर्माण के सम्बन्ध में अतिथि तक भी वाद के निस्तारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में चालानशुद्धा निर्माण को सील किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

आदेश

विपक्षी मौ० हनीफ, प्रधान इनक्लेव, ब्राह्मणवाला, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट क्षेत्र में भूतल पर दुकान व कमरा तथा प्रथमतः पर आवासीय निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1)/धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी का वाद संख्या.सी-0795/एस-1/2023 योजित किया गया। विपक्षी को वाद के निस्तारण के लिए पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में निर्माण पर अकुश लगाने हेतु चालानशुद्धा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सीलिंग के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06/09/23 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

(रजा अब्बास)

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-

1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

करें।

3-थानाध्यक्ष, पटेल नगर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेसर सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।